बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (गया) 02–22/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............

श्री राम कुमार रमण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आमस, गया के विरूद्ध समाहर्त्ता, गया का पत्रांक–14/मु0, दिनांक–25.03.2024 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री रमण के विरूद्ध एक ही भूमि का अलग–अलग दाखिल–खारिज वाद अभिलेख खोलकर दो भिन्न व्यक्तियों के नाम से दाखिल–खारिज की स्वीकृति देने, दो पक्षों के विरूद्ध विवाद उत्पन्न होन एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदनोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–491(15), दिनांक–07.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री रमण द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–06.05.2026 से विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री रमण से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने एवं आरोप की प्रकृति गंभीर होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रमण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय ज़ाँच, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री रमण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

कृ0पृ0उ0

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, गया/अपर समाहर्त्ता, गया /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया/श्री राम कुमार रमण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आमस, गया **सम्प्रति राजस्व अधिकारी, गया सदर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

निबंधित/ ई—मेल

ज्ञापांक—15/आरोप (गया) 02—22/2024— (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, गया को उनके पत्रांक—14/मु0, दिनांक—25.03.2024 के प्रसंग में/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया/ श्री राम कुमार रमण,**राजस्व अधिकारी, गया सदर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, गया से अनुरोध है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/—
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक—15/आरोप (गया) 02—22/2024— (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, गया को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए प्रावधानित समय के अन्दर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/—
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (गया) 02—22/2024—889 (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—19.06.26

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\ashish 2026\Departmental Procee. Hartal\Ram kr Raman_CO_Amas_Gaya_.doc